

**अधिसूचना अंतर्गत मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973)**

क्रमांक डी-15-28-2006-चौदह-3 दिनांक 11 सितम्बर, 2009 -- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित मण्डी समिति के मण्डी क्षेत्र में भी अधिसूचित फलों एवं सब्जियों पर कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर दो रुपये की दर से मण्डी फीस अधिरोपित करती है :-

क्रमांक	मंडी समिति का नाम	जिला
(1)	(2)	(3)
1.	सबलगढ़	मुरैना

(2) परन्तु यह भी उक्त पैरा क्रमांक- 1 में विनिर्दिष्ट मण्डी फीस के स्थान पर केवल संतरे एवं केले के लिये मण्डी फीस प्रत्येक एक सौ रुपये पर एक रुपये की दर से अधिरोपित की जाती है ।

(3) यह अधिसूचना "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

MAP IT (MP Code)

[www.code.mp.gov.in](http://www.code.mp.gov.in)